बिहार सूचना आयोग

चतुर्थ तल, सूचना भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800015

दूरभाष : +91–612–2215713
फैक्स : +91–612–2235466

आवश्यक सूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अंतर्गत दायर किये जाने वाले द्वितीय अपील आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश

बिहार राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमावली, 2007 के विनियम–10 (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अंतर्गत दायर किये जाने वाले द्वितीय अपील आवेदन हेतु निम्नांकित नियमों का पालन करना/कागजात संलग्न करना आवश्यक है–

I. मूल सूचना आवेदन (प्रपत्र–"क") एवं प्रथम अपील आवेदन (प्रपत्र–"छ') की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं पूर्ण हस्ताक्षर सहित द्वितीय अपील आवेदन संलग्न करना आवश्यक है।

II. संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आवेदन दायर किये जाने की पावती/रसीद अथवा उसे डाक/कूरियर/किसी अन्य सम्पुष्ट माध्यम से भेजने के साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है;

III. अपील आवेदन के साथ अपील शुल्क (भा0पो0ऑ0/नॉन–जुडिसयल स्टांप/नकद/ संबंधित प्राधिकार द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणित गरीबी रेखा से नीचे होने संबंधी प्रमाण–पत्र (बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र)) संलग्न करना आवश्यक है;

IV. इस आशय की स्व–घोषणा कि **"प्रस्तुत द्वितीय अपील के संबंध में पूर्व में आपके द्वारा आयोग में कोई अन्य द्वितीय अपील नहीं दायर किया गया है और यह मामला किसी अन्य न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकार के समक्ष लंबित नहीं है"** संलग्न करना आवश्यक है।

V. द्वितीय अपील/प्रथम अपील आवेदन/मूल सूचना आवेदन की पठनीय छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है;

VI. एक अपील आवेदन में एक से ज्यादा मूल सूचना आवेदन/प्रथम अपील आवेदन संलग्न नही किया जाना है;

VII. मूल सूचना आवेदन दायर करने के बाद प्रथम अपील आवेदन दायर करने के उपरांत ही द्वितीय अपील दायर किया जाना है;

VIII. प्रथम अपील आवेदन पर निर्णय प्राप्त होने की समय–सीमा समाप्त होने के बाद ही द्वितीय अपील दायर किया जाना है;

IX. मूल सूचना आवेदन दायर किये जाने के बाद ठीक उनके वरीय पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होते हैं के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दायर किया जाना है;

X. मूल सूचना आवेदन/प्रथम अपील आवेदन वास्तव में किस लोक प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया है/किस लोक सूचना पदाधिकारी को संबोधित है–यह स्पष्ट/उल्लिखित होना आवश्यक है;

XI. बिहार सूचना आयोग में सिर्फ बिहार राज्य के लोक प्राधिकारों के मामलें में ही द्वितीय अपील किया जाना है;

XII. मूल सूचना आवेदन/प्रथम अपील आवेदन/द्वितीय अपील विहित समय सीमा के अंतर्गत ही दायर किया जाना है;

2. बिहार सूचना आयोग से त्रुटि चिन्हित करने के उपरांत पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपना द्वितीय अपील आवेदन त्रुटियों का निराकरण कर पुनः दायर कर सकते हैं। निर्धारित अवधि उपरांत, विलंब का उचित कारण के बगैर प्रेषित आवेदन पर विचार नही किया जाएगा एवं मूल आवेदन आपको प्रेषित भी नही किया जाएगा। आवेदक यदि चाहे तो वे अपना आवेदन मूल रूप में आयोग कार्यालय से एक माह के अंदर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आवेदन अपीलार्थी के नाम के हिन्दी वर्णाक्षर क्रम में काउन्टर पर रखी पेटी में एक सप्ताह तक उपलब्ध रखे जायेंगे और तत्पश्चात और तीन सप्ताह तक कार्यालय में बिना वर्णानुक्रम के उपलब्ध रखने के बाद निष्पादित कर दिये जायेंगे।

3. अपील आवेदन में संलग्न प्रपत्र–क, प्रपत्र–छ एवं अन्य आवश्यक कागजात पर तिथि सहित पूर्ण <u>हस्ताक्षर/स्वअभिप्रमाणित</u> होना आवश्यक है।

4. द्वितीय अपील आवेदन के साथ आवेदक का पूर्ण पता चार प्रतियों में टंकित कर/हस्तलिखित (स्लिप फॉरमेट में) संलग्न करना आवश्यक है, संलग्न पते को लिफाफा पर चिपकाकर ही आयोग द्वारा पत्राचार किया जाएगा, गलत पता अंकित होने के स्थिति में पत्र अप्राप्त होने की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी।

5. द्वितीय अपील आवेदन के साथ सिर्फ प्रपत्र–क एवं उसकी प्राप्ति, प्रपत्र–क में वर्णित अनुलग्नक, प्रपत्र–क का उत्तर(यदि कोई प्राप्त हुआ हो तो), प्रपत्र–छ एवं उसकी प्राप्ति, आवेदन हस्तांतरण संबंधित पत्र, स्व–घोषणा एवं शुल्क संलग्न किया जाय, अपील से संबंधित अन्य आवश्यक कागजात सुनवाई के क्रम में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय।

आदेशानुसार
ह0/–
विधि पदाधिकारी–सह–प्रभारी सचिव
बिहार सूचना आयोग, पटना।